पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी सं 04/2025
OPERATING SAFETY ALERT NO. 04/2025

विषय:- :- सोनपुर मंडल के बछवाड़ा एवं साठाजगत स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग सेक्शन में मालगाड़ी IDBR का इंजन विफलता के कारण रूक जाना ।

दिनांक 11.04.2025 को अप मालगाड़ी IDBR बछवारा जं. और साठाजगत स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक सिगनल सं. A-517 को पार कर इंजन विफलता के कारण रूक गई, जिसका ब्रेकवान ऑटोमेटिक सिगनल सं. A- 515 एवं A-517 के मध्य स्थित था । अनुगामी मालगाड़ी MHRL ऑटोमेटिक सिगनल सं. A-515 को 'ऑन' स्थिति में नियमानुसार पार करके मालगाड़ी IDBR के ब्रेकवान से दो ओ.एच.ई. के खम्भों की दूरी पर 01/58 बजे से 02/32 बजे तक खड़ी रही ।

लोको पायलट तथा गार्ड द्वारा नियम 9.02 के अनुसार की गई कार्यवाही –

1. मालगाड़ी IDBR के गार्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रेकवान पर कि टेल लैंप ठीक से प्रदर्शित हो रहा है।
2. मालगाड़ी MHRL के लोको पायलट एवं गार्ड दवारा नियम 9.02 का पालन करते हुए –
   (क) ऑटोमेटिक सिगनल सं. A-515 को 'ऑन' स्थिति में 02 मिनट रूक कर पार किया गया ।
   (ख) लोको पायलट ने अपनी गाड़ी को अत्यधिक सतर्कतापूर्वक के साथ, 15 कि0मी0 प्रति घंटा से कम की गति से, संभावित अवरोध के लिए निगाह डालते हुए आगे बढाया ।
   (ग) गार्ड के द्वारा ऑटोमेटिक सिगनल सं. A-515 को 'ऑन' स्थिति में पास करने का समय नोट किया गया तथा यह भी ध्यान रखा गया कि लोको पायलट निर्धारित गति को पार नहीं करे।
   (घ) लोको पायलट के द्वारा अपनी गाड़ी को, इंजन विफलता के कारण आगे खड़ी गाड़ी IDBR के ब्रेकवान से दो ओ.एच.ई. के खम्भों से पहले खड़ा किया गया ।
   (ङ) गार्ड के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रेकवान पर टेल लैंप ठीक से प्रदर्शित हो रहा है।

उपरोक्त दोनों मालगाड़ी के गार्ड द्वारा गाड़ी का बचाव नियम 9.10 के अनुसार नहीं किया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए नियम 9.02 का पालन करते हुए नियम 9.10 के अनुसार निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. यदि कोई गाड़ी स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में रूक जाती है तो गार्ड तुरन्त पीछे की ओर खतरे का हैंड सिगनल दिखाएगा और **यह जाँच करेगा कि टेल बोर्ड / लैंप ठीक से प्रदर्शित हो रहा है।**

2. यदि गाडी स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में किसी **दुर्घटना, खराबी या अवरोध के कारण रूकी है** और वह आगे नहीं बढ़ सकती है तो लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा। नियम 9.10 के अनुसार, गाड़ी की जिस लाइन पर रूकी हुई है उस लाइन की रक्षा **गाड़ी से 90 मीटर की दूरी पर एक पटाखा और 180 मीटर की दूरी पर दो पटाखा, 10 मीटर के अंतराल पर लगा कर किया जायगा** । बगल वाली लाइन की रक्षा नियम 6.03 के अनुसार **गाड़ी से 600 मीटर की दूरी पर एक पटाखा और 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखा, 10 मीटर के अंतराल पर लगा कर किया जायगा यदि बगल वाली (पार्श्ववर्ती) लाइन बाधित हो या बाधित होने की आशंका हो ।**

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त घटना की पुनरावृति को रोकने के लिए सभी संबधित कर्मचारियों को **सामान्य एवं सहायक नियम 6.03, 9.02 एवं 9.10** के सम्बन्ध में सघन काउंसलिंग करें एवं **Ambush Check** के दवारा कर्मचारियों की सतर्कता जांच हेतु आवश्यक कारवाई करें ।

25/4/25

(डॉ ० मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबन्धक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
दिनांक 25.04.2025

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505
प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे , हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा आधिकारी/पूमरे , हाजीपुर को सूचनार्थ ।
3. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू, सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ ।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू, सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner